



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा


(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशासन/1194/19

दिनांक : 28.12.2019

प्रभारी एजेंसी

मा० कुलपति जी के निर्देशानुसार बी०एड० वर्ष 2005 के परीक्षाफलों की एस०आई०टी०, लखनऊ से प्राप्त (FAKE) फेक, टेम्पर्ड एवं एक ही रोल नम्बर पर परीक्षा देने वाले एक से अधिक छात्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज दिनांक 28.12.2019 को अपलोड करना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. उपकुलसचिव।
4. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी कुलसचिव कार्यालय।
6. गार्ड फाइल।


कुलसचिव



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

बी०एड० 2005 प्रवेश/परीक्षा (एस०आई०टी० जॉब) से सम्बन्धित सूचना

सर्वसाधारण एवं सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि याचिका संख्या 2906/2013 सुनील कुमार बनाम डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में बी०एड० सत्र 2004-2005 के प्रकरणों में जॉचोपरान्त एस०आई०टी० मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में मु०अ०सं० 02/2015 धारा 409/420/467/468/471/204/201 सपठित 120 बी० मा०द०कि० व 13(1)डी (2)(3) भ्र०नि० अधिनियम बनाम हरीश कसाना आदि पंजीकृत किया गया है। उक्त मु० अ०सं० में प्रचलित विवेचना के क्रम में एस०आई०टी० द्वारा सम्बन्धित छात्रों की तीन सूचियाँ - फेक, टेम्पर्ड व एक ही अनुक्रमांक पर परीक्षा देने वाले एक से अधिक छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु प्राप्त हुयी है, जो विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.dbrau.org.in पर अवलोकनीय है।

सभी सम्बन्धित छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट पर प्रसारित सूचना के अवलोकन के उपरान्त वाञ्छित सूचना इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को ऑन लाईन एवं पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा हार्ड कापी प्रेषित करें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अंकित प्रकरणों में विश्वविद्यालय को एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय वेबसाइट देखें।

कुलसचिव

Dr. :
28/11/2014

आम सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण एवं सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि याचिका संख्या 2906/2013 सुनील कुमार बनाम डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में बी०एड० सत्र 2004-2005 के प्रकरणों में जॉचोपरान्त एस०आई०टी० मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में मु०अ०सं० 02/2015 धारा 409/420/467/468/471/204/201 सपठित 120 बी० भा०द०वि० व 13(1)डी (2)(3) भ्र०नि० अधिनियम बनाम हरीश कसाना आदि पंजीकृत किया गया है। उक्त मु० अ०सं० में प्रचलित विवेचना के क्रम में एस०आई०टी० द्वारा सम्बन्धित छात्रों की तीन सूचियाँ – फेक, टेम्पर्ड व एक ही अनुक्रमांक पर परीक्षा देने वाले एक से अधिक छात्रों की सूची प्रेषित करते हुये विश्वविद्यालय से आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

इस विषय में विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद की बैठक दिनांक 06.12.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार एस०आई०टी० से प्राप्त तीनों श्रेणी के छात्रों में से फेक (Fake) व टेम्पर्ड शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व एक ही अनुक्रमांक पर परीक्षा देने वाले एक से अधिक छात्रों का विवरण विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.dbrau.org.in पर प्रसारित है।

(अ) फेक छात्रों की सूची।

(ब) टेम्पर्ड छात्रों की सूची।

(स) एक ही रोल नम्बर पर परीक्षा देने वाले एक से अधिक छात्रों की सूची।

फेक (Fake) एवं टेम्पर्ड छात्रों एवं एक ही अनुक्रमांक पर परीक्षा देने वाले एक से अधिक छात्रों की सूची में नामित छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को ऑन लाईन एवं पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा हार्ड कापी प्रेषित करते हुये अपना पक्ष एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करें, जिससे उनके प्रकरणों में अग्रेतर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अंकित प्रकरणों में विश्वविद्यालय को एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। टेम्पर्ड उपाधिपत्रों/अंकपत्रों वाले छात्रों की सूची पर विधिक कार्यवाही पृथक से प्रचलित की जायेगी।

उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 2906/2013 सुनील कुमार बनाम डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के निर्णयाधीन होगी।

कुलसचिव



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

बी०एड० वर्ष २००५ (एस०आई०टी० जॉय से सम्बन्धित) प्रवेश/परीक्षा सम्बन्धी विवरण
 नोट :- एस०आई०टी० जॉय से सम्बन्धित निम्न सूचनायें विश्वविद्यालय वेबसाइट www.dbrau.org.in पर अपलोड कर शीर्षक -बी०एड० मुख्य परीक्षा २००५ सम्बन्धी प्रत्यावेदन' सील्ड लिफाफे में केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से 'कुलसचिव, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' को प्रेषित करें।

1.	छात्र/छात्रा का नाम।	
2.	छात्र/छात्रा का स्थाई/पत्रव्यवहार का पता, मो० नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर।	
3.	छात्र/छात्रा के पिता का नाम।	
4.	प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक।	
5.	जिस महाविद्यालय में प्रवेश लिया उसका नाम।	
6.	प्रवेश काउन्सिलिंग अथवा प्रदन्धकीय कोटे में हुआ (स्पष्ट उल्लेख करें)।	
7.	काउन्सिलिंग संख्या/ प्रदन्धकीय कोटे में प्रवेश सूची में स्थान। (काउन्सिलिंग पत्र संलग्न करें।)	
8.	महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क ड्राफ्ट/नकद जमा करने का विवरण।	
9.	महाविद्यालय से स्कॉलरशिप प्राप्त की दशा में विवरण।	
10.	नामांकन संख्या (Enrollment No.)	ड्राफ्ट/रसीद संख्या/धनराशि..... दिनांक..... (प्रमाण सहित)
11.	मुख्य परीक्षा बी०एड० ०५ का अनुक्रमांक	ड्राफ्ट/रसीद संख्या/धनराशि..... दिनांक..... (प्रमाण सहित)
12.	बी०एड० वर्ष २००५ मुख्य परीक्षा के परीक्षा केन्द्र का नाम।	
13.	बी०एड० वर्ष २००५ की परीक्षा में बैठने का प्रवेश पत्र की छाया प्रति।	
14.	बी०एड० वर्ष २००५ की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद अंकात्मिका स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करें।	
15.	यदि अस्थाई प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया गया हो तो प्रमाण पत्रों की संख्या - समस्त अस्थाई प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करें।	
16.	मूल उपाधि का विवरण क्रमांक संख्या	
17.	अन्य कोई विवरण/सूचना	

नोट :- उपरोक्त से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ/प्रमाणक अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

संलग्नकों की संख्या अंकों में

सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रसारण -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

२००४-०५ में काउन्सिलिंग/मैनेजमेंट

पूर्णांक/प्राप्तांक का विवरण महाविद्यालय पर उपलब्ध है/उपलब्ध नहीं है। महाविद्यालय के अभिलेखानुसार छात्र/छात्रा को सैद्धान्तिक/प्रायोगिक ६००/२०० में क्रमशः सैद्धान्तिक में एवं प्रायोगिक में

अंक प्राप्त हुए थे तथा सैद्धान्तिक में श्रेणी तथा प्रायोगिक में श्रेणी था।

(शब्दों में)

निवासी

पुत्र/पुत्री

को जो अंकात्मिका विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी थी उसके

को जो अंकात्मिका विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी थी उसके

ने महाविद्यालय में वर्ष

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

दिनांक

प्राचार्य

हस्ताक्षर एवं मुहर